

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब,

विषय: आय प्रमाण – पत्र बनवाने बारे (Education Purpose)।



श्रीमान जी,

1. निवेदन है कि मैं पुत्र/पुत्री श्री
निवासी गाँव तहसील जिला का रहने
वाला/वाली हूँ।
2. यह है कि मैं जाति व धर्म से सम्बन्ध रखता हूँ।
3. यह है कि मैं किसी संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हूँ।
4. यह है कि मैं और मेरी पत्नी सीधी भर्ती के क्लास 1 सरकारी अधिकारी आल इन्डिया या राज्य
सरकार नहीं हैं। व न ही क्लास 2 अधिकारी हैं।
5. यह है कि मैं अन्य पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग या प्राईवेट क्षेत्र में भी उपरोक्त 4 में वर्णित पदों के
समकक्ष किसी पद पर आसीन नहीं हूँ।
6. यह है कि मैं भारतीय सेवा के कर्नल या उसके ऊपर के पद या उसके समकक्ष पद पर आसीन नहीं
हूँ।
7. यह है कि मेरे पास कुल भूमि एकड़ कनाल है।
8. यह है कि मेरे परिवार की सभी साधनों से सालाना आय रु0 से है। तथा पिछले तीन
सालों में कुल सम्पत्ति डब्ल्यू टी ए में निर्धारित छूट सीमा से कम रही है।
9. यह है कि मैं राज्य सरकार के पत्र 1170 एस.डब्ल्यू 1-95 दिनांक 07.06.1995 के द्वारा जारी हिदायतों
अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता।
10. यह है कि मुझे/मेरे पुत्र/पुत्री/पत्नी आय प्रमाण –पत्र जारी
किया जाए।
11. यह है कि मैंने व मेरे परिवार के किसी सदस्य ने भारत भर में किसी भी अन्य स्थान से प्रमाण पत्र
नहीं बनवाया है।

अतः आप से प्रार्थना है कि मुझे आय का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी

मोबाईल न0.....

नाम.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी त व जिला

मैं तसदीक करता/करती हूं कि प्रार्थी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी गांव त. व जिला का जन्म से या 15 सालों से ज्यादा का स्थाई निवासी है। और श्री/कुमार/कुमारी प्रार्थी का पुत्र/पुत्री/पत्नी है, तथा अविवाहित है। तथा जन्म से ही प्रार्थी के साथ रहता है। मैं प्रार्थी को जाति तौर पर जानता हूं। जो कि जाति व धर्म से सम्बन्ध रखता है। प्रार्थी के परिवार की सभी साधनों से सालाना आय रु0 है। प्रार्थी के परिवार की कुल सम्पत्ति वेत्त्व टैक्स एक्ट में निर्धारित सीमा से कम रही है। प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सीधी भर्ती में राजपत्रित कर्मचारी प्रथम या द्वितीय श्रेणी नहीं है। राज्य सरकार की हिदायतों अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता। प्रार्थना – पत्र में लिखे तथ्य सही है।

सरपंच

मैं तसदीक करता/करती हूं कि प्रार्थी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी गांव त. व जिला का जन्म से या 15 सालों से ज्यादा का स्थाई निवासी है, और श्री/कुमारी प्रार्थी का पुत्र/पुत्री/पत्नी है, तथा अविवाहित है। तथा जन्म से ही प्रार्थी के साथ रहता है। मैं प्रार्थी को जाति तौर पर जानता हूं। जो कि जाति व धर्म से सम्बन्ध रखता है। प्रार्थी के परिवार की सभी साधनों से सालाना आय रु0 है। प्रार्थी के परिवार की कुल सम्पत्ति वेत्त्व टैक्स एक्ट में निर्धारित सीमा से कम रही है। प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सीधी भर्ती में राजपत्रित कर्मचारी प्रथम या द्वितीय श्रेणी नहीं है। राज्य सरकार की हिदायतों अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता। प्रार्थना – पत्र में लिखे तथ्य सही है।

नम्बरदार

तसदीक की जाति है कि प्रार्थी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी गांव त. व जिला का जन्म से या 15 सालों से ज्यादा का स्थाई निवासी है, और श्री/कुमारी प्रार्थी का पुत्र/पुत्री/पत्नी है, तथा अविवाहित है, जन्म से प्रार्थी के साथ रहता/रहती है। मैं प्रार्थी को जाति तौर पर जानता हूं। जो कि जाति व धर्म से सम्बन्ध रखता है। प्रार्थी के परिवार की सभी साधनों से सालाना आमदनी रु0 है तथा पिछले तीन सालों से प्रार्थी के परिवार की कुल सम्पत्ति वेत्त्व टैक्स एक्ट में निर्धारित सीमा से कम रही है। प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सीधी भर्ती में राजपत्रित कर्मचारी प्रथम या द्वितीय श्रेणी नहीं है। राज्य सरकार की हिदायतों अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता। प्रार्थना पत्र में लिखे गए तथ्य सही है। प्रार्थी का उपरोक्त पते पर अपना रिहायशी मकान है या पैकिंग सम्पत्ति है। प्रार्थी का नाम राशन/आधार कार्ड सं0 में क्रमांक पर दर्ज है। प्रार्थी का वोटर कार्ड नं0 है। प्रमाण – पत्र जारी किया जाना उचित है। रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। प्रार्थी को यह प्रमाण पत्र अपने पुत्र या पुत्री की पढाई के लिए आवश्यकता है।

हल्का पटवारी

मैंने प्रार्थी के प्रार्थना – पत्र की जांच कर ली है। तथा सभी रिपोर्ट साथ सलग्न दस्तावेजों को भी देख लिया है। सरकार की हिदायत के अनुसार सही है। प्रार्थी को प्रमाण – पत्र जारी किया जाना उचित है।

प्रमाण पत्र क्लर्क

उपरोक्त अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाए व रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

तहसीलदार,

प्रमाण–पत्र क्रमांक दिनांक को जारी किया गया।

SELF-DECLARATION

I S/o,D/o,W/o Sh.

Resident of Tehsil..... Distt. do
hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I/My Son/ Daughter is permanent resident of above address.
2. That I/ My son/ Daughter/Wife have applied for INCOME CERTIFICATE to Tehsildar.
3. That my annual income from all sources is less than Rs.....
4. That I am(Profession)

Deponent

Verification:-

That the above statement is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there in.

Deponent

Place:

Date:

सरपंच,
ग्राम पंचायत